न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष :मनोज गोयल

अध्यक्ष

अपील प्रकरण कमांक 470–दो/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–1–2011 पारित द्वारा आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 95/अपील/2009–10.

.....

प्रो0अशोका बिल्डकान लिमिटेड नासिक कैम्प नीमच
द्वारा मुख्तार खास गोकुल पिता पंढरीनाथ चौधरी
निवासी नई आबादी संजय गांधी गार्डन के पास
मंदसौर

..... अपीलार्थी

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, नीमच

..... प्रत्यर्थी

– – –

श्री दिनेश व्यास, अभिभाषक–अपीलार्थी

– – –

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/7/16 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–1–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खनिज अधिकारी एवं खनिज निरीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरार्थ प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया जाकर अपीलार्थी द्वारा ग्राम चल्दू स्थित 1446 रकबा 3.15 एवं 1447 रकबा 5.84 हेक्टेयर भूमि से 22950 घनमीटर मुरम का अवैध उत्खनन किये जाने संबंधी उल्लेख किया गया । यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त मुरम की रायल्टी रुपये 3,90,150/– होती है, जिसकी दो गुना राशि रुपये 68,85,000/– होती है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक

01/अ–67/09–10 दर्ज किया जाकर दिनांक 19–02–2010 को आदेश पारित कर रुपये 68,85,000/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 17–01–2011 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अवैध उत्खनन की गई मुरम की रायल्टी की राशि रुपये 3,90,150/– के 10 गुना रुपये 39,01,500/– अर्थदण्ड जमा कराने के आदेश दिये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 247(7) के अन्तर्गत अवैध उत्खनन की जॉच करने की अधिकारिता नायब तहसीलदार को नहीं है और नायब तहसीलदार की जॉच के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी को आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर द्वारा जो कारण बताओ सूचना पत्र दिये गये थे, वह धारा 53(1) मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये थे । इस धारा के अन्तर्गत कलेक्टर को ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अनुविभागीय अधिकारी को नहीं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि खनिज निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन दिनांक 5–12–08 को प्रस्तुत किया गया था, उसमें मध्यप्रदेश गौण खनिज अधिनियम की नियमावली, 1996 के नियम 53(1) व 53(2) एवं 53(5) का उल्लंघन मानकर कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर को प्रस्तावित किया गया था और उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार अनुविभागीय अधिकारी को प्राप्त नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं पाते हुये भी अपीलार्थी पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने में पूर्णतः विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिये आयुक्त द्वारा भी रायल्टी राशि का 10 गुना रुपये 39,01,500/– अधिरोपित करने में घोर अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर अपील स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 247 के अन्तर्गत कार्यवाही कर आदेश पारित करने की शक्तियॉं अनुविभागीय अधिकारी को प्रदान की गई है, अतः इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही क्षेत्राधिकार रहित नहीं ठहराई जा सकती है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिवत् जॉंच कराई गई है और जॉंच में अपीलार्थी द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना प्रमाणित पाया गया है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैध उत्खनन की गई मुरम के बाजार मूल्य रुपये 34,42,500/– के दोगुना रुपये 68,85,000/– अत्यधिक अर्थदण्ड अधिरोपित करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई थी, अतः आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर रायल्टी राशि रुपये 3,90,150/– के 10 गुना रुपये 39,01,500/– शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये आयुक्त द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं होकर स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–1–2011 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर